

प्रेस नोट दिनांक 31.07.2025 थाना बारादरी बरेली

थाना बारादरी पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले शातिर गैंग डी-159/25 के 08 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गौकशी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये सघन अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना बारादरी पुलिस द्वारा गौकशी में संलिप्त तथा जनपद स्तर पर पंजीकृत गैंग डी-159/25 के 08 अभियुक्तों 1. गैंग लीडर वसीम अहमद पुत्र कफील अहमद निवासी अमर उजाला प्रेस के पास सेमलखेडा थाना बारादरी जिला बरेली अस्थायी पता कटरा चांद खाँ थाना बारादरी जिला बरेली 2. फय्याज रहमान पुत्र अताउररहमान निवासी मौ० काजी टोला थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) 3. रिजवान उर्फ पिन्ना पुत्र इस्माईल निवासी सूफी टोला थाना बारादरी जिला बरेली अस्थायी निवासी कुतुबशाह की ज्यारत थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) 4. कासिम उर्फ शानू पुत्र नाजिम कुरेशी निवासी कसाई टोला थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) 5. हुमा समीर कुरेशी पत्नी वसीम अहमद निवासी अमर उजाला प्रेस के पास सेमल खेडा थाना बारादरी जिला बरेली अस्थायी निवासी कटरा चाँद खाँ थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) 6. श्रीमती सना पत्नी मुज्जविल पुत्री कफील अहमद निवासी अमर उजाला प्रेस के पास सेमल खेडा थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) 7. श्रीमती फूलबानो पत्नी कफील अहमद निवासी सेमल खेडा अमर उजाला प्रेस के पास थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) 8. फईम पुत्र कफील अहमद निवासी अमर उजाला प्रेस के पास सेमलखेडा थाना बारादरी जिला बरेली के विरुद्ध थाना बारादरी पर मु०अ०सं० 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि० 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त शातिर अभियुक्त गण द्वारा दिनांक 11.04.2025 को गैंग लीडर वसीम कुरेशी निवासी मो० कटरा चांद खाँ थाना बारादरी बरेली के घर पर गौ वंशीय पशु का मांस एवं गौवंश काटने का सामान प्राप्त होने एवं पुलिस दबिश के दौरान सभी अभियुक्तों के छत के रास्ते भाग जाने आदि के सम्बन्ध में चौकी प्रभारी सैटेलाइट उ०नि० गौरव अत्री द्वारा थाना बारादरी पर मु०अ०सं० 345/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम वसीम आदि 04 नफर नामजद एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, विवेचना में नामजद 04 अभियुक्तों के अलावा 04 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये थे, जिसमें 06 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे एवं 02 अभियुक्त मा० न्यायालय में हाजिर अदालत हुए, अभियुक्तों द्वारा यह कार्य गैंग बनाकर किया गया था तथा पूर्व में भी इनके द्वारा किसी न किसी रूप में गौवध की घटना में संलिप्तता पाये जाने के कारण गैंग को सूचीबद्ध कर गैंग पंजीकरण की कार्यवाही कर दिनांक 31.07.2025 को गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध इस कार्यवाही से पुलिस को अपराध नियंत्रण में काफी सहयोग मिलेगा। सभी अभियुक्तों की सम्पत्ति विवेचना के दौरान चिन्हित कर उन्हें धारा 14(1) के तहत जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

नाम पता व आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

1. गैंग लीडर वसीम अहमद पुत्र कफील अहमद निवासी अमर उजाला प्रेस के पास सेमलखेडा थाना बारादरी जिला बरेली अस्थायी पता कटरा चांद खाँ थाना बारादरी जिला बरेली मुख्य कार्य – अपने गैंग के सदस्यों के साथ गौवंशीय पशुओं को तलाश कर सहयोगियों के साथ अपने घर में उनका वध करना व मांस के टुकड़े बनाना तथा परिवारीजनों के साथ पूर्ण रूप से व्यवसायिक दृष्टि कोण से अवैध रूप से गौमांस का व्यापार करना।
1. मु०अ०सं० 345/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
2. मु०अ०सं० 40/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
3. मु०अ०सं० 98/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
4. मु०अ०सं० 226/15 धारा 384 भादवि थाना बारादरी बरेली
5. मु०अ०सं० 239/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली
6. मु०अ०सं० 262/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
7. मु०अ०सं० 308/15 धारा 398/401 भादवि व 207 MV ACT थाना बारादरी जिला बरेली

8. मु0अ0सं0 532/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना बारादरी बरेली
9. मु0अ0सं0 184/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली
- 10 मु0अ0सं0 907/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर
11. मु0अ0सं0 917/21 धारा 147/336/353/427/504/506 भादवि व 2/3 सा0 सम्पत्ति अधि0 थाना बारादरी जिला बरेली
12. मु0अ0सं0 702/23 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर
13. मु0अ0सं0 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

2. फय्याज रहमान पुत्र अताउररहमान निवासी मौ० काजी टोला थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) मुख्य कार्य – गौमांस को तोलकर टुकड़े बनाना एवं सप्लाई में सहयोग करना

1. मु0अ0सं0 .345/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
2. मु0अ0सं0 98/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
3. मु0अ0सं0 184/22 धारा 3/8 सी एस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
4. मु0अ0सं0 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

3. रिजवान उर्फ पिन्ना पुत्र इस्माईल निवासी सूफी टोला थाना बारादरी जिला बरेली अस्थाई निवासी कुतुबशाह की ज्यारत थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) मुख्य कार्य – गौवंशीय पशु को पकड़ कर वध करना

1. मु0अ0सं0 345/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
2. मु0अ0सं0 98/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
3. मु0अ0सं0 184/22 धारा 3/8 सी एस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
4. मु0अ0सं0 461/19 धारा 3/8 सी एस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
5. मु0अ0सं0 311/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
6. मु0अ0सं0 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

4. कासिम उर्फ शानू पुत्र नाजिम कुरेशी निवासी कसाई टोला थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) मुख्य कार्य – गौवंशीय पशु को पकड़ कर वध करना

1. मु0अ0सं0 345/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
2. मु0अ0सं0 309/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
3. मु0अ0सं0 357/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
4. मु0अ0सं0 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

5. हुमा समीर कुरैशी पत्नी वसीम अहमद निवासी अमर उजाला प्रेस के पास सेमल खेडा थाना बारादरी जिला बरेली अस्थाई निवासी कटरा चाँद खाँ थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) मुख्य कार्य मांस को टुकड़ों में करके पॉलीथिन में पैक करना

1. मु0अ0सं0 345/25 धारा 3/5/8 सी एस एक्ट बारादरी जिला बरेली
2. मु0अ0सं0 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

6. श्रीमती सना पत्नी मुज्जविल पुत्री कफील अहमद निवासी अमर उजाला प्रेस के पास सेमल खेडा थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) मुख्य कार्य मांस को टुकड़ों में करके पॉलीथिन में पैक करना

1. मु0अ0सं0 345/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
2. मु0अ0सं0 429/23 धारा 323/354ख/452/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बारादरी बरेली
3. मु0अ0सं0 962/22 धारा 323/498 भादवि व 3/4 डीपी0 एक्ट बारादरी बरेली
4. मु0अ0सं0 967/21 धारा 323/504/324 भादवि बारादरी बरेली
5. मु0अ0सं0 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

7. श्रीमती फूलबानो पत्नी कफील अहमद निवासी सैमल खेडा अमर उजाला प्रेस के पास थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) मांस को टुकड़ों में करके पॉलीथिन में पैक करना

1. मु0अ0सं0 345/25 धारा 3/5/8 सी एस एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
2. मु0अ0सं0 357/23 धारा 323/325/452/504/506 भादवि थाना बारादरी जिला बरेली
3. मु0अ0सं0 962/22 धारा 323/498ए भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना बारादरी जिला बरेली
4. मु0अ0सं0 967/21 धारा 323/324/504 भादवि थाना बारादरी जिला बरेली
5. मु0अ0सं0 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

8. फईम पुत्र कफील अहमद निवासी अमर उजाला प्रेस के पास सैमलखेडा थाना बारादरी जिला बरेली (सदस्य) मुख्य कार्य गौवंशीय मांस की सप्लाई

1. मु0अ0सं0 345/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली
2. मु0अ0सं0 429/23 धारा 323/354/354(ख)/452506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बारादरी बरेली
3. मु0अ0सं0 357/23 धारा 323/325/452/504/506 भादवि थाना बारादरी जिला बरेली
4. मु0अ0सं0 850/2025 धारा 2(b)(x vii) / 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बारादरी बरेली ।